न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 64/2018

प्रार्थी :– **बनाम** **अप्रार्थी:–**

सरकार जरिये तहसीलदार रोहट

कैलाश बहुगुणा पुत्र पुरूषोतम (Chief opreting Officer) Zydus infrastructure p. ltd., Zydus tower satellitecross road, S.G. highway Ahmedabad 380015

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक : 30.07.2018

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रोहट द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थी के नाम अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट के पुराने खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से नए ख.न. 285/33 रकबा 10 बीघा किस्म बा.अ. के नियम विरूद्ध किए गए आवंटन को एवं उससे संदर्भित नामान्तरकरणों को निरस्त कर भूमि पुनः गै.मु. नदी दर्ज करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस रजिस्टर ए.डी. के तलब किया गया। जो एक माह से भी अधिक अवधि गुजर जाने के पश्चात भी रजिस्ट्री पुनः प्राप्त नहीं होने से नियमानुसार तामील मानी जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट जिला पाली के पुराने खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से नए ख.न. 285/33 रकबा 10 बीघा किस्म बा.अ. जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसका आवंटन भीमा पुत्र माना कौम लवार के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा किस्म परिवर्तन गै.मु. नदी से बा.अ. दर्ज किया गया है। जिनकी पालना में नामान्तरकरण 177 दिनांक 08.04.1975 के द्वारा भीमा को गैर खातेदार दर्ज किया गया, नामान्तरकरण संख्या 322 द्वारा भीमा को खातेदार दर्ज किया। उक्त आराजी को भीमा पुत्र माना कौम लवार ने अप्रार्थी कैलाश बहुगुणा को जरिये पंजीयन दस्तावेज के बैचाण कर दिया, जिसका नामान्तरकरण संख्या 624 दिनांक 26.02.2009 को स्वीकृत किया गया। जिसकी प्रति संलग्न पेश नहीं की गई है तथा जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत किस्म गै.मु. नदी प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से उक्त भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित आराजी का नामान्तरकरण संख्या 177 दिनांक 08.04.1975 एवं इसके पश्चातवर्ती

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

नामान्तरकरण संख्या 322 एवं उक्त खसरा नम्बर की आराजी को पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 624 दिनांक 26.02.2009 भरा गया जिसको भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट जिला पाली के पुराने खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से नए ख.न. 285/33 रकबा 10 बीघा किस्म बा.अ. जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसका आवंटन भीमा पुत्र माना कौम लवार के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा किस्म परिवर्तन गै.मु. नदी से बा.अ. दर्ज कर किया गया है। जिनकी पालना में नामान्तरकरण 177 दिनांक 08.04.1975 के द्वारा भीमा को गैर खातेदार दर्ज किया गया, नामान्तरकरण संख्या 322 द्वारा भीमा को खातेदार दर्ज किया। उक्त आराजी को भीमा पुत्र माना कौम लवार ने अप्रार्थी कैलाश बहुगुणा को जरिये पंजीयन दस्तावेज के बैचाण कर दिया, जिसका नामान्तरकरण संख्या 624 दिनांक 26.02.2009 को स्वीकृत किया गया। लेकिन प्रार्थी तहसीलदार रोहट ने अपने प्रार्थना पत्र में मूल आवंटी भीमा पुत्र माना कौम लवार को पक्षकार नहीं बनाकर केवल केता वर्तमान खातेदार को ही पक्षकार बनाया है जबकि मूल आवंटी भीमा को पक्षकार बनाया जाना आज्ञापक है। भूमिधारी द्वारा मूल आवंटी को पक्षकार न बनाकर उसे अप्रत्यक्ष रूप से भारी विधिक लापरवाही बरती है तथा न ही नामान्तरकरण संख्या 624 की प्रति संलग्न की गई है। मूल आवंटी को पक्षकार बनाए बिना व उसे बिना सूने जैर प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल में रेफरेंस किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रोहट को निर्णय की प्रति नए सिरे से समस्त पूर्तियों को करते हुए 15 दिवसों के भीतर प्रार्थना पत्र पुनः पेश करने हेतु प्रेषित किया जावे। प्रभारी अधिकारी, संस्थापन शाखा, कलेक्ट्रेट पाली को श्री ताराचंद प्रजापत, तहसीलदार रोहट के विरूद्ध लापरवाही पूर्ण किए गए उपरोक्त कृत्य के लिए विभागीय कार्यवाही करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति संस्थापन शाखा, कलेक्ट्रेट पाली को प्रेषित की जावे। पत्रावली इस न्यायालय से नम्बर से कम हो।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर
पाली (राजस्थान)